

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

डॉ० विनोदानन्द झा
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण

सेवा में,

समी प्राचार्य,

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (PTEC)

प्रखण्ड अध्यापक शिक्षा संस्थान (BIET)

पटना, दिनांक:- 29/07/2024

विषय- सत्र 2021-2023 के डी.एल.एड. कोर्स में नामांकन की कार्रवाई प्रारम्भ करने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के फलस्वरूप डी.एल.एड. कोर्स के सत्र 2021-2023 में नामांकन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नामांकन हेतु टेस्ट लेने में कतिपय कारणों से असमर्थता व्यक्त की गई है। अतएव वर्तमान में विषयांकित सत्र के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। आपको निदेश दिया जाता है सत्र 2021-2023 के दो वर्षीय डी.एल.एड. कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जाय। यह नामांकन NCTE द्वारा आपके संस्थान/महाविद्यालय को डी.एल.एड. कोर्स के लिए स्वीकृत सीटों (intake) के विरुद्ध किया जाएगा।

2. डी.एल.एड. कोर्स में नामांकन हेतु सरकार के संकल्प-12/प्रशिक्षण-89/07-204 दिनांक-19.06.2008 में नामांकन हेतु निर्धारित प्रावधानों में निम्नलिखित संशोधन के आधार पर नामांकन की कार्रवाई की जाएगी:-

(क) नामांकन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता इण्टर+2 में 50 प्रतिशत अंकों की होगी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्त के लिए 05 (पाँच) प्रतिशत छूट होगी।

(ख) उर्दू अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 50 प्रतिशत अंकों के साथ मौलवी होगी तथा निःशक्त के लिए 05 (पाँच) प्रतिशत छूट होगी।

(ग) NCTE द्वारा स्वीकृत कुल सीट का 05 (पाँच) प्रतिशत निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा तथा उर्दू अभ्यर्थियों के लिए 10 (दस) प्रतिशत आरक्षित होगा। निःशक्त तथा उर्दू अभ्यर्थियों को नामांकन में क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(घ) NCTE द्वारा स्वीकृत कुल सीट का 50 (पचास) प्रतिशत कला/वाणिज्य तथा 50 (पचास) प्रतिशत विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। स्वीकृत सीट की संख्या विषम होने पर एक पद विज्ञान को अधिक दिया जाएगा। उर्दू विषय की गणना कला/वाणिज्य सीट के विरुद्ध किया जायगा।

1. नामांकन में आरक्षण- नामांकन में बिहार राज्य के आरक्षण नियम का अक्षरशः पालन किया जायगा तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार/सामान्य प्रशासन विभाग के वर्तमान में प्रभावी नियम /परिनियम आदि का पालन आवश्यक होगा।

2. चयन का आधार- नामांकन हेतु चयन का आधार दसवीं एवं बारहवीं कक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों का प्रतिशत होगा। दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का औसत निकालते हुए नामांकन हेतु मेधा सूची का निर्माण कोटिवार किया जाएगा। प्राप्तांकों के औसत समान रहने पर अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दी जायगी। प्राप्तांकों के औसत और योग्यता समान रहने पर उम्र में वरीय को तथा प्राप्तांकों के औसत, योग्यता और जन्म-तिथि समान रहने पर अभ्यर्थी के अंग्रेजी वर्णमाला में लिखे जाने वाले नाम के वर्णाक्षर के आधार पर नाम में जो वर्णाक्षर पहले आयेंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

मौलवी योग्यताधारी अभ्यर्थियों की मेधा सूची फोकानियाँ तथा मौलवी की कक्षाओं में प्राप्त प्राप्तांकों के योग का औसत निकालते हुए किया जाएगा। उर्दू अभ्यर्थियों के लिए सर्वप्रथम मौलवी योग्यताधारी अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा। मौलवी योग्यताधारी अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में जैसे अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने उर्दू विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ा हो तथा उन्होंने उर्दू विषय में नामांकन हेतु अधीच्छा दी हो। उर्दू विषय में ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा अधीच्छा देने पर यदि मेधा अनुसार उनका नामांकन नहीं होता है तो वे दूसरे विषय कोटि के पद पर नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे। मौलवी योग्यताधारी अभ्यर्थी उर्दू पद के अतिरिक्त किसी अन्य विषय कोटि पद के विरुद्ध नामांकन हेतु आवेदन देने के लिए पात्र नहीं होंगे। विज्ञान विषय के साथ +2/इण्टर उत्तीर्ण कला एवं वाणिज्य पद के विरुद्ध आवेदक नहीं हो सकते उसी प्रकार कला/वाणिज्य योग्यताधारी विज्ञान पद के विरुद्ध आवेदक नहीं हो सकते। 10+2 में निर्धारित वोकेशनल कोर्स में उत्तीर्ण अभ्यर्थी कला/वाणिज्य पद के विरुद्ध आवेदक होंगे।

जैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री, पोलिटेक्नीक, आई.टी.आई. या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डी.एल.एड. कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अन्तर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने मध्यम के बाद इण्टर, 10+2 अथवा फोकानियाँ के बाद इण्टर, 10+2 की योग्यता हासिल की है वे डी.एल.एड. कोर्स में नामांकन के पात्र होंगे।

5. उम्र एवं योग्यता प्राप्त करने की सीमा- नामांकन हेतु नामांकन वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख को अभ्यर्थी का न्यूनतम उम्र 17 (सत्रह) वर्ष तथा न्यूनतम निर्धारित योग्यता भी उक्त तिथि को प्राप्त होनी चाहिए। सत्र 2021-2023 में नामांकन हेतु तिथि की गणना 01.01.2021 होगी।
6. समयभाव के कारण सत्र 2021-2022 में नामांकन हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए निदेशालय द्वारा सभी राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एक ही विज्ञापन प्रकाशित की जा रही है। सभी राजकीय प्रशिक्षण संस्थान अलग-अलग विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेंगे।
7. सभी प्राचार्य अपने-अपने प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय में नामांकन हेतु संचालित वेबसाईट (पूर्व की भांति) तुरंत अद्यतन कर लेंगे जिससे अभ्यर्थियों को ऑनलाईन नामांकन लेने तथा निर्धारित शुल्क जमा करने में कोई कठिनाई नहीं हो। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाईन SBI Collect अथवा Bill Desk के माध्यम से ही स्वीकार करने की व्यवस्था सभी प्राचार्य करेंगे। किसी भी परिस्थिति में आवेदन शुल्क की राशि एजेन्सी के माध्यम स्वीकार करना उचित नहीं होगा।
8. डी.एल.एड. कोर्स में नामांकन हेतु प्राप्त सभी आवेदनों की एक वृहद मेधा सूची तैयार की जाएगी। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार कोटिवार मेधा सूची तैयार कर प्रकाशित की जाएगी।




9. नामांकन समिति की बैठक (तिथि निर्धारित कर) केवल एकबार ही आयोजित की जायगी तथा उक्त बैठक में सम्पूर्ण मेधा सूची जो कोटिवार अलग-अलग तैयार की गई है, पर सभी सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त किया जायगा। 20.09.2021 से 04.10.2021 तक की अवधि में संस्थान/महाविद्यालय में नामांकन के दौरान सीट की संख्या के अनुसार निर्मित नामांकन सूची एवं तदुपरान्त क्रमिक रूप से प्रथम, द्वितीय, तृतीय (आवश्यकतानुसार नामांकन पूर्ण होने तक) प्रतीक्षक सूची से कोटिवार नामांकन किया जायगा। नामांकन हेतु संस्थान के वेबसाइट पर सूची प्रकाशित की जायगी तथा अभ्यर्थी के मोबाईल पर इस आशय का संदेश निश्चित रूप से प्राचार्य द्वारा भेजा जायगा। सूची प्रकाशित होने/संदेश भेजे जाने तथा नामांकन तिथि के बीच अभ्यर्थियों को इतना समय निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए कि उन्हें नामांकन लेने के शर्तों को पूरा करने का अवसर मिल सके। नामांकन शुल्क बैंक ड्राफ्ट अथवा ऑन लाईन सीधे संस्थान के खाता में लिया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में नामांकन शुल्क नगद नहीं लिया जायगा। एक बार नामांकित हो जाने पर नामांकित अभ्यर्थी का नामांकन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। यदि किसी भूलवश संस्थान के द्वारा नियम विरुद्ध नामांकन हो जाता है तथा इस कोटि के अभ्यर्थी का नामांकन रद्द होने पर नामांकन शुल्क वापस होगा।
10. सभी प्राचार्य नामांकन प्रक्रिया इस प्रकार संचालित करेंगे कि अभ्यर्थियों को नामांकन कराने में कठिनाई नहीं हो तथा निर्धारित समय सीमा में शतप्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
11. नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर प्राचार्य सभी नामांकित प्रशिक्षुओं की सूची पूर्ण विवरण के साथ ई-मेल/डाक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
12. नामांकन कैलेण्डर- सभी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के नामांकन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित नामांकन कैलेण्डर जारी किया जा रहा है जिसका अनुपालन किया जाना है:-
- | | | |
|--|---|------------------------|
| (i) आवेदन प्राप्त करने की प्रारम्भ तिथि | - | 18.08.2021 (बुधवार से) |
| (ii) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि | - | 01.09.2021 (बुधवार तक) |
| (iii) मेधा सूची का निर्माण एवं नामांकन समिति की बैठक का आयोजन | - | 09.09.2021 (गुरुवार) |
| (iv) मेधा सूची (सभी समर्पित आवेदन हेतु) का प्रकाशन | - | 13.09.2021 (सोमवार) |
| (v) मेधा सूची पर अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति प्राप्त करना | - | 20.09.2021 (सोमवार तक) |
| (vi) प्राप्त आपत्ति के निराकरण के उपरान्त अंतिम मेधा सूची - (सीट के अनुसार अभ्यर्थियों की सूची) एवं कोटिवार/विषयवार सम्पूर्ण प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन (संस्थान के वेबसाइट एवं सूचना पट्ट पर) तथा अंतिम मेधा सूची एवं सम्पूर्ण प्रतीक्षा सूची की हार्ड कॉपी की प्रति दिनांक- 07.09.2021 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित किया जाना | - | 27.09.2021 (सोमवार तक) |

- (vii) नामांकन हेतु सूचना प्रेषण (SMS, ई-मेल एवं संस्थान के वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से तथा दूरभाष पर अतिरिक्त रूप में) - 30.09.2021 (गुरुवार)
- (viii) नामांकन (प्रथम सूची एवं तदनुसार प्रतीक्षक सूची दोनों के आधार पर) - 18.10.2021 (सोमवार)
- (ix) नामांकन प्रक्रिया बंद - 19.10.2021 (मंगलवार)
- (x) कक्षा संचालन की तैयारी - 19.10.2021 से 20.10.2021 तक
- (xi) कक्षा संचालन (फेश टू फेश या ऑनलाईन) - 21.10.2021 (गुरुवार)

कृपया ऊपर वर्णित दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए एवं ससमय नियमों के पालन एवं परदर्शिता के साथ इसे सम्पन्न किया जाए। किसी बिन्दु पर अस्पष्टता होने पर मार्गदर्शन में समय नहीं लगायेंगे, बल्कि फोन पर सम्पर्क कर समाधान करेंगे।

विश्वासभ्रमजन



(विनोदानन्द झा)

निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण

पटना, दिनांक- 29/09/2021

ज्ञापांक-12/प्रशि०-01/2016-274

प्रतिलिपि-सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण

पटना, दिनांक- 29/09/2021

ज्ञापांक-12/प्रशि०-01/2016-274

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण